राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 28/06/2024 से 02/07/2024 तक मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान दिनांक 02/07/2024 को की गई खरगौन जिले की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 28-06-2024 के क्रम में श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 02/07/2024 को मध्य प्रदेश के खरगौन जिले के का दौरा किया जिसमें श्री अंकित सेन, अनुसंधान अधिकारी ने सहभागिता की।

दिनांक 02/07/2024 को खरगौन जिले के शासकीय विश्राम गृह में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य ने जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें उनकी शिकायतें एवं सुझावों को सुना तथा साथ ही चर्चा कर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जिले में निजी विद्यालयों द्वारा किताबों के वितरण में विसंगतियां की जा रही है एवं मनमानी फीस वसूल कर रहे है। यह भी बताया कि निजी विद्यालय अभिभावकों से विद्यालय जाने में आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा

सुझाव दिया गया कि जनजाति छात्रावासों में प्रवेश के लिए आर्थिक कोटा भी होना चाहिए जिससे कि जनजातीय वर्ग के गरीब परीवार के छात्र-छात्रायें भी छात्रावासों में प्रवेश पा सके। झिरन्या एवं भगवानपुरा विकासखण्ड में वन विभाग की मनमानियों को बन्द किया जाना चाहिए जिससे कि जनजाति के परिवार को वन अधिकार से संबंधित अधिकार प्राप्त हो सके।

इसके उपरांत कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री कर्मवीर शर्मा जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह बारिया, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, एसडीएम श्री भास्कर गाचले, डिप्टी कलेक्टर श्री सत्येन्द्र बैरवा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री प्रशांत आर्य एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष द्वारा जिले के अधिकारियों से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया।

बैठक के प्रारंभ में श्री कर्मवीर शर्मा, जिला-कलेक्टर ने आयोग के दल का स्वागत किया। तदुपरांत आयोग द्वारा दी गई प्रश्नावली के उत्तर में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न योजनाओं के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित जानकारी ली गई। चर्चा के बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. **<u>जनसंख्या</u>**- खरगौन जिले में कुल जनसंख्या 18,73,046 है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7,30,169 है। जिले में आवासों की कुल संख्या 3,67,988 है।
2. **<u>शिक्षा</u> -** जिले में कुल साक्षरता दर 72.08 प्रतिशत है वहीं अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 44.98 प्रतिशत है जिनमें पुरुष 52.24 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 37.73 प्रतिशत है। जिले में उच्च माध्यमिक (हाईस्कूल) स्तर के 68 छात्रावासों में छात्रावासियों की संख्या में बालक 2680 तथा बालिका 1230 एवं अध्यासित सीटों की संख्या में बालक 2338 तथा बालिका 1223 है। 4 महाविद्यालय स्तर के छात्रावासों में 50 बालक तथा 160 कन्या छात्रावासियों की संख्या है वहीं अध्यासित सीटों की संख्या में 50 बालक तथा 143 कन्या की संख्या है। उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर के छात्रावासियों के लिए प्रतिमाह छात्राओं के लिए रु 1550/- तथा छात्रों के लिए रु 1500/- खर्च किये जाते है।

शिक्षा का स्तर	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग
प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन का प्रतिशत	99.85	98.90
प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शाला त्यागने का प्रतिशत	0.15	1.10
माध्यमिक विद्यालय स्तर में उपस्थित बच्चों का प्रतिशत	99.88	98.55
माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शाला त्यागने का प्रतिशत	0.12	1.45

उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शाला त्यागने का प्रतिशत	0.50	10.05

जिले में प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड में नर्सरी से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 7 सीएम राईज विद्यालय है जिसमें लगभग 8000 विद्यार्थी अध्यापन कर रहे है। जिलें में 5 कन्या शिक्षा परिसर जिनमें छात्र-छात्राओं के लिए स्वीकृत सीटों की कुल संख्या 2100 है। 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जिसमें स्वीकृत सीटों की संख्या 480 है।

3. **<u>विभाग द्वारा आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति-</u>** जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 1568 है। मध्यान्ह भोजन समूहों की संख्या 1003 तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या 97529 है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 7 आंगवनवाड़ी भवनों की स्वीकृति दी गई जिसमें 28.26 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी भवन है।

4. **<u>प्रिमैट्रिक छात्रवृत्ति</u>**

   स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या:-2,06,902

   भुगतान किये गये विद्यार्थियों की संख्या:- 2,06,902

   आहरित संख्या:-9,67,80,450

5. **<u>पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति-</u>**

   स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या:- 8053

   भुगतान किये गये विद्यार्थियों की संख्या:- 7999

   आहरित संख्या:- 941.43 लाख

   भुगतान का प्रतिशत 99.32

6. **<u>कृषक:</u>** जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषि किसानों की कुल संख्या :- 113488 है।

7. **शुद्ध पेयजल**

- जिले में स्थापित 11142 हैण्डपंप एवं 1177 सिंगफेस मोरटपंप एवं स्थापित नलजल योजनाओं से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत एकल नलजल योजनाओं एवं जल निगम मर्यादित की समूह जल प्रदाय योजनाओं द्वारा संपूर्ण जिले मे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कार्य प्रगतिरत है।
- जल जीवन मिशन अन्तर्गत जिले में कुल 778 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है जिमसें से 446 योजनाऐ पूर्ण एवं 332 योजनाऐ प्रगतिरत है।
- मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के माध्यम से इंदिरा सागर 2 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना अन्तर्गत 296 ग्राम (बल्क 256 एवं नवीन 46) एवं इस प्रकार खरगौन देजला देवाडा ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित 165 ग्राम (बल्क 143 एवं नवीन 22) पेयजल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है।
- निमरानी-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अनतर्गत 130 ग्रामों में (बल्क 89 एवं नवीन 41) पेयजल प्रदाय योजना प्रगतिरत है।
- अपरवेदा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 49 ग्राम (बल्क 49) का कार्य प्रगतिरत है।
- बागोद नांदिया पिपल्या ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कुल ग्राम 54 का कार्य प्रगति पर है।

8. **<u>रोजगार का पंजीकरण:</u>** जिले में वर्ष 2023-2024 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 121829 पंजीकरण हुआ। तथा 30,67,294 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

9. **<u>वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्तमान तक मान्य किये गये व्यक्तिगत दावों का विकासखण्डवार जानकारी (जून 2024):</u>**

क्र.	विकासखण्ड	कुल दावों की संख्या	पूर्व के मान्य हितग्राहियों की संख्या	एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से मान्य	वर्तमान तक कुल मान्य वनाधिकार	अमान्य	परिक्षण हेतु शेष

				हितग्राहियों की संख्या	प्रमाण-पत्रों की संख्या		
1	खरगौन	43	33	0	33	10	0
2	गोगावां	302	228	13	241	57	4
3	सेगांव	288	255	8	263	24	1
4	भगवानपुरा	8532	7207	674	7881	415	236
5	भीकनगांव	1676	940	105	1045	525	106
6	झिरन्या	8982	6552	500	7052	1836	94
7	कसरावद	1139	403	211	614	430	95
8	महेश्वर	697	219	12	231	462	4
9	बड़वाह	1127	723	100	823	275	29
	कुल	**22786**	**16560**	**1623**	**18183**	**4034**	**569**

10. वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्तमान तक मान्य किये गये सामुदायिक दावों का विकासखण्डवार जानकारी (जून 2024):

क्र.	विकासखण्ड	कुल दावों की संख्या	पूर्व में निराकृत	एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से मान्य हितग्राहियों की संख्या	वर्तमान तक कुल मान्य वनाधिकार प्रमाण-पत्रों की संख्या	अमान्य	परिक्षण हेतु शेष
1	कसरावद	12	12	0	12	0	0
2	खरगौन	5	2	0	2	3	0
3	गोगावां	17	17	0	17	0	0
4	झिरन्या	253	156	0	156	97	0
5	बड़वाह	365	147	0	147	218	0
6	भगवानपुरा	336	138	0	138	198	0
7	भीकनगांव	65	33	0	33	32	0

8	महेश्वर	60	18	0	18	42	0
9	सेगांव	10	8	0	8	2	0
		1123	**531**	**0**	**531**	**592**	**0**

आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में दिये गये सुझाव-

माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई है। उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा प्रशासन को गरीब जनजाति परिवारों की मदद के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए। सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने वन अधिकार अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि पात्र लोगों को वन भूमि का पट्टा देने में प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए। पात्र लोगों को वन अधिकारी पट्टा प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वन अधिकार पट्टा धारक किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ अनिवार्य रूप से मिले। उन्होंने कहा कि जिले के जिन ब्लॉकों में पेसा एक्ट लागू है, वहां की पंचायतों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए और गांव के लोगों को इसके बारे में पूरी

जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने एट्रोसीटी एक्ट के प्रकरणों में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी गरीब आदिवासी की जमीन यदि गैर-जनजाति व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर खरीदी जाती है तो ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और पीड़ीत व्यक्ति को जमीन वापस दिलाई जाने की कार्यवाही तत्परता के साथ की जाए। उन्होंने शासन की नीति के अनुरूप जिले के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करने और इस बारे में ग्रामीणों को जानकारी देने को कहा। उन्होंने उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।

जल जीवन मिशन के कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तत्परता के साथ कार्य किया जाए। जल निगम की योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ हो और इसके पाईप गहराई तक बिछाए जाए, जिससे किसानों को नुकसान न हो। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए मनरेगा से कार्य कराने तथा स्टेट हाईवे व नेशनल हाईवे के किनारे संबंधित ग्राम पंचायत से मनरेगा के अंतर्गत पौधा रोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निमाड़ के इस क्षेत्र में नीम एवं करोंदी के पेड़ अधिक संख्या में लगाए जाए। बैठक में आदिवासी वर्ग में पायी जाने वाली सिकल सेल की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। बैठक में किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।

खरगौन जिले के कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने बैठक में बताया कि खरगौन जिले में आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और सभी पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाया जा रहा है। आदिवासी वर्ग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से

समीक्षा की जा रही है। जिले के भगवानपुरा, भीकनगांव एवं झिरन्या विकासखण्ड के दुरस्थ ग्रामों तक संचार सुविधा पहुंचाने के लिए टावर लगाएं गए हैं। कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में टावर लगाने का काम भी पूरा हो जाएगा।

बैठक के अंत में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने जिला-कलेक्टर, खरगौन को बैठक में हुई चर्चाओं और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही करते हुए आयोग को कार्यपालन प्रतिवेदन भिजवाने का निर्देश दिया। जिला-कलेक्टर, खरगौन ने भी आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को जिले में आगमन एवं उपयोगी विचार-विमर्श हेतु आभार प्रकट किया।